सराहनीय कार्य प्रेस नोट दिनांक 30-04-2021

एस0ओ0जी टीम एवं थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 50400 शीशी अवैध शराब सहित एक ट्रक व एक बोलेरो को कब्जे में लेकर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया (कुल बरामदगी लगभग कीमत 93 लाख रु0)।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम के नेतृत्व में दिनांक 29-04-2021 को धेन्सा पेट्रोल पम्प के पास संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग कर रहे थे इसी दौरान मुखबीर खास द्वारा सूचना दिया गया कि एक ट्रक जो बलरामपुर से नौगढ़ की तरफ आ रहा है उसमें भारी मात्रा में शराब लदा हुआ हैं। एस0ओ0जी0 ने उक्त सूचना पर विश्वास कर श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक थाना चिल्हिया के साथ मय पुलिसबल सहित धेन्सा पेट्रोल पम्प के पास नौगढ़ की तरफ आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे, इसी दौरान एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल द्वारा ट्रक को रोककर चेंक किया गया तो उसमें 1050 गत्ते में कुल 50400 शीशी फैक्ट्री मेड अवैध शराब (111 गोल्ड व्हिस्की) बरामद हुआ जिसकी **कीमत लगभग 61 लाख रु0 हैं**। ट्रक में डाइवर सहित 03 व्यक्ति मौजूद थे, जिनसे शराब व ट्रक के कागज मांगा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ट्रक में अवैध शराब है जिसे हम लोग हिमाचल प्रदेश से बिहार बेचने के लिए ले जा रहे हैं, हमलोग अक्सर शराब लेकर आते-जाते रहते है इसलिए हमलोग ट्रक का नम्बर रास्ते में बदल देते है ताकि हमलोग पकड़े न जाए। आज भी हमलोगों ने यही किया है ट्रक का असली नम्बर HR 55 N 6432 कि जगह HR 55 N 6482 लिखवा दिया था लेकिन आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया हैं। उक्त सभी अभियुक्तों को सायं 06:00 लगभग गिरफ्तार कर थाना चिल्हिया पर मु0अ0सं035/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

नाम पता अभियुक्तगण

1- हरिभजन सिंह पुत्र पूरन सिंह साकिन लोगढ़ थाना जिरकपुर जनपद मोहाली (पंजाब)।
2- जयप्रकाश सिंह पुत्र जवाहिर प्रसाद साकिन लकड़ी दरगाह थाना बढ़हरिया जनपद सीवान (बिहार)।
3- परवेश पुत्र सुरेश साकिन गढ़ी थाना खरखोदा जनपद सोनीपत (हरियाणा)।

विवरण बरामदगी।

1- 111 गोल्ड व्हिस्की (कम्पनी का नाम) 1050 गत्ते में 50400 शीशी, फैक्ट्री मेड अवैध शराब।
2- एक अदद ट्रक रजि0 नं0 HR 55 N 6482
3- एक अदद बोलेरो बिना नम्बर प्लेट सफेद रंग। **कुल बरामदगी लगभग कीमत लगभग 93 लाख रु0।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. श्री दिनेश चन्द्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
2. उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
3. उ0नि0 श्री अजय शंकर यादव, थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर। ।
4. हे0का0 राजीव शुक्ला एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
5. हे0का0 आनन्द प्रकाश एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
6. हे0का0 रवीन्द्र कुमार यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।
7. आरक्षी वीरेन्द्र त्रिपाठी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
8. आरक्षी अखिलेश यादव एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
9. आरक्षी मृत्युंजय कुशवाह एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
10. आरक्षी पवन तिवारी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

उपरोक्त सराहनीय कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु रु0 20,000-/ से पुरस्कृत किया गया।